E-mail

सं0 सं0– टी–1 / स्था0 (2) नि0–165 / 2012(अंश)–......595......... /

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला एवं LWE सहित)।

पटना, दिनांक 09 / 03 / 2020.

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों की सेवा एवं कार्य दक्षता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय आदेश ज्ञापांक 1606 दिनांक 30.07.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय आदेश ज्ञापांक 1606 दिनांक 30.07.2019 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कुल 212 व्यवसाय अनुदेशकों की अवधि का विस्तार दिनांक 31.05.2020 तक के लिए क्रिया गया है। उक्त व्यवसाय अनुदेशकों की सेवा अवधि को विस्तारित करने का मामला विचाराधीन है। इस हेतु संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों की सेवा एवं कार्य दक्षता के संबंध में प्रतिवेदन अपेक्षित है। साथ ही, यदि संविदा पर नियोजित किसी व्यवसाय अनुदेशक के विरूद्ध आरोप / परिवाद आदि प्राप्त है तो उसके संबंध में भी प्रतिवेदन अपेक्षित है।

अतः निदेशा दिया जाता है कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों की सेवा एवं कार्य दक्षता तथा उनके विरूद्ध प्राप्त आरोप / परिवाद आदि के संबंध में अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन
06.03.20

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।